FORM NO.137

AVECUSICE HOUSE HUSER

(see rule 276)
IN THE HON'BLE HIGH COURT OF M.P.
JABALPUR
ORIGINAL JURISDICTION.

In the matter of The Companies Act, 1956 And

In the matter of M/s. Optel Telecommunications Ltd. (In-Liqn.)
Company Petition no.07/2008

ADVERTISEMENT AS TO DECLARATION OF DIVIDEND

Notice is hereby given that a 2nd dividend of 0.626609208 paise in the rupee for ex-workmen & 0.022874395 paise in the rupee for secured creditors has been declared and that the same will be payable on the 30th day of August, 2018 and on subsequent working days up to the day of 1st March 2019, at the office of The Official Liquidator, High Court of M.P., 1st Floor, OLD CIA Building, Opposite GPO, Residency Area, Indore on submission of banking account details and KYC details of the deserving exworkmen and secured creditors, by directly crediting the amount in to the bank accounts of beneficiaries.

Date: 26/07/2018

Place: Indore (M.P.)

Sd/-

OFFICIAL LIQUIDATOR
HIGH COURT OF M.P., INDORE, GWALIOR & JABALPUR

फॉर्म क.-137 (नियम 276) (नियन 276) माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर मूल केत्राधिकार कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत एवं मेसर्स ऑपटेल टेलीकम्युनिकेसंस लि. (समापन-में) कंपनी पिदीशन क्र. 07/2008

लाभांश की घोषणा का विज्ञापन

यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के भूतपूर्व कामगारी की रूपये में 0.626609208 पैसे एवं सुरक्षित लेन्द्रारों की रूपये में 0.022874395 पैसे का द्वितीय लामांश भुगतान की घोषणा हो चुकी है। जो कि दिनांक 30 अगस्त 2018 से आगामी कार्य दिवसों में दिनांक 01 मार्च 2019 तक कार्यालय शासकीय सुमापक उच्च न्यायालय म.प्र. प्रथमतल, ओल्ड सीआईए भवन, जीपीओ के सामने, इंदौर द्वारा देय होगी। जो कि योग्य भूतपूर्व कामगारा एवं सुरक्षित लेनदारों द्वारा बैंक खाता विवरण एवं के ब्राय सी. विवरण प्रस्तुत करने पर सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जायेगी।

दिनांक : 26/07/2018 स्थान : इंदौर (म.प्र.)

शासकीय समापक मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर, खालियर और जबलपुर